सावधान! आ गई स्पीड गन.. अब रात में भी बिना हेलमेट या तेज रफ्तार वाहन चालकों का चालान

अंधेरे में 300 मीटर की दूरी तक वाहनों की रफ्तार व चालक के हेलमेट न पहनने को पकड़ लेगी स्पीड गन

अमित गुप्ता

चंडीगढ़। अगर आप शहर की सड़कों पर रात में बिना हेलमेट या फिर स्पीड लिमिट से ज्यादा अपने वाहनों को चला रहे हैं, तो जरा संभलकर, क्योंकि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस बुधवार से रात में भी स्पीड नाका लगाने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने तीन नाइट विजन के स्पीड गन डिवाइस खरीदे हैं, जो अंधेरे में वाहन पर बिना हेलमेट और तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ा रहे चालकों के वाहन 300 मीटर की दूरी से कैच कर उनका चालान करेगी।

ट्रैफिक पुलिस के उच्चाधिकारियों के अनुसार, यह प्रपोजल पिछले कई साल से लटका था, लेकिन अब दिल्ली की कंपनी से करीब 19 लाख रुपये में यह तीनों स्पीड गन डिवाइस लाया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि उनके पास ओवर स्पीड की चेकिंग के लिए पहले से जो डिवाइस हैं, वह रात के अंधेरे में कारगर नहीं होने के कारण तीन नए डिवाइस खरीदे गए हैं। ये डिवाइस अब अंधेरे में 300 मीटर की दूरी से वाहनों की तेजरफ्तार चेक करने की क्षमता रखने के अलावा बिना हेलमेट पहने व्हीकल चला रहे चालकों को पता लगा लेंगे। शहर की सड़कों पर अब जल्द ही ड्रंकन ड्राइव के अलावा स्पीड नाका लगाया जाएगा। हालांकि, यह नाका कब और कहां लगना है कि यह तय सीमा कुछ समय पहले ही उच्चाधिकारियों के निर्देश से लगता है। बता दें कि साल 2019 में तो शहर के अलग-अलग हिस्सों में 8837 ओवर स्पीड के चालान हुए हैं। उच्चाधिकारियों के अनुसार, अगर यह डिवाइस कारगर साबित हुई तो डिवाइस की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के पास इससे पहले दिन में रफ्तार का पता लगाने वाली 9 डिवाइस है।

दक्षिण मार्ग, उद्योग पथ, मध्य मार्ग समेत शहर की मुख्य सड़कों पर आज से नाके

ट्रैफिक पुलिस ने 19 लाख रुपये से हाईटेक टेक्नालॉजी से लैस नाइट विजन के तीन स्पीड गन खरीदे

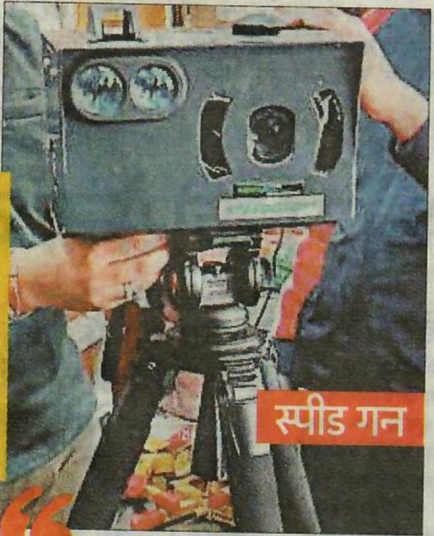

स्पीड गन

"सड़कों पर बिना हेलमेट और स्पीड लिमिट से अधिक स्पीड से वाहन चलाने वालों के बुधवार से चालान काटे जाएंगे। -**शशांक आनंद, एसएसपी ट्रैफिक**

नहीं निकल पाएंगे बचकर

हाई टेक्नोलॉजी से लैस नाइट विजन स्पीड गन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए करीब 200 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ट्रेंड कर किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अगर यह डिवाइस कारगर रहा तो इसे और ज्यादा संख्या में खरीदा जाएगा। दक्षिण मार्ग, मध्यमार्ग, उद्योग पथ समेत शहर की अन्य मुख्य सड़कों पर स्पीड गन का नाका लगाकर वाहनों के रफ्तार रोकने के अलावा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई करेगी।

लाइसेंस होगा रद्द

अगर आप ओवर स्पीड के नाके पर स्पीड लिमिट से ज्यादा पकड़े जाते हैं तो एक जुर्माने के साथ आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर दो हजार का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा हेलमेट का एक हजार रुपये का चालान है।

सड़क हादसे में आएगी कमी

हल्लोमाजरा लाइट, रेलवे लाइट, ट्रांसपोर्ट लाइट, हाउसिंग बोर्ड चौक, ट्रिब्यून चौक, सेक्टर-25/38 लाइट, काली बाड़ी लाइट समेत अन्य मुख्य जगहों पर अक्सर देखा गया है कि रात को वाहनों की रफ्तार लिमिट से ज्यादा होती है। जिस कारण यहां आए दिन हादसे होते हैं। ट्रैफिक एक्सपर्ट के अनुसार, देर रात स्पीड नाका लगाने से सड़कों पर हादसों में कमी देखी जा सकेगी।

इन सड़कों की इतनी स्पीड लिमिट

शहर के अलग सेक्टरों में स्पीड लिमिट के मानक बताएं गए हैं, जिनमें मुख्य सड़कों की में कार की रफ्तार 60 और दो पहिया वाहनों की स्पीड लिमिट 45 रखी गई है। इसके अलावा सेक्टरों से जोड़ती सड़कों पर कार की स्पीड 50 और दो पहिया की 45 है।

वाहन	वी-1/2	वी-3/4	वी-5	वी-6
कार	60	50	40	35
दोपहिया	45	45	40	35